UPMT010046382026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2017/2026
मोनू प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–128/2026, धारा–310(2),317(3),127(2), 118(1) भारतीय न्याय संहिता व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना रिफाइनरी, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **मोनू** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती नीचे डालकर, उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसको चोट पहुंचाना, उसका मोबाइल आईफोन 15 व स्मार्ट वॉच को छीनना/लूटना, वादी के एकाउण्ट से एक लाख रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करना तथा गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण से लूटा गया मोबाइल, एक स्मार्ट वॉच एवं घटना में प्रयुक्त गाड़ी व चाकू बरामद होना आदि आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा रामनरेश पर बल देते हुए मुख्यतः कथन/तर्क किए गए हैं कि वह पूर्णतः निर्दोष है, उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त इस न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत किया, न विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। वादी द्वारा तहरीर में दिखाये गये तथाकथित वाहन हुण्डई ओरा से उसका कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादी द्वारा तहरीर में अंकित किया गया है कि वह मथुरा स्टेशन पर अपने साथियों, जोकि कानपुर से मथुरा के लिए आ रहे थे, का इंतजार कर रहा था और वहीं दूसरी ओर वह अपने बिना साथियों के ही अभियुक्तगण सुनील त्यागी व आशू त्यागी के साथ तथाकथित गाड़ी में हाईवे की ओर चला गया, जबकि उसका स्वयं का कथन है कि वह मथुरा घूमने आया था, तब हाईवे की ओर अभियुक्तगण सुनील त्यागी व आशू त्यागी के साथ जाने वाली बात स्वतः ही फर्जी साबित हो जाती है। वादी की तहरीर में तीन अन्य साथी अभय, मोनू व प्रशान्त का गाड़ी में आकर बैठ जाने का कथन है, उक्त व्यक्तियों के नाम किस प्रकार वादी जानता था, ऐसा तहरीर में अंकित नहीं है, न ही ऐसा अंकित है कि आवेदक/अभियुक्त किस स्थान पर वादी की तथाकथित गाड़ी में बैठा था। वादी द्वारा तहरीर में किसी भी व्यक्ति की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दिखायी गयी है, जबकि तहरीर के अनुसार वह सभी तथाकथित अभियुक्तों के नाम पूर्व से ही जानता था। आवेदक/अभियुक्त ने अपने एकाउण्ट में वादी के तथाकथित एक लाख रूपये ट्रांसफर नहीं किये हैं, न ही उक्त संबंध में कोई साक्ष्य है, जो आवेदक/अभियुक्त की उक्त मुकदमें में फर्जी संलिप्तता के तथ्य को साबित करता है। उससे मुकदमा से संबंधित कोई बरामदगी नहीं है, दिखायी गयी तथाकथित चाकू की बरामदगी फर्जी तरीके से प्लांट कर दर्शायी गयी है। घटना का कोई भी स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। वादी की गर्दन के पास किसी प्रकार का कोई चोट का निशान नहीं है। वास्तव में आवेदक/अभियुक्त की मथुरा स्टेशन के बाहर वादी व उसके साथियों से हो रहे वहां लड़ाई

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.06.03 12:34:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

झगड़ा को लेकर कहा सुनी हो गयी थी, जिस पर वादी व उनके साथियों ने आवेदक/अभियुक्त के साथ गाली–गलौज करते हुए धक्का मुक्की कर दी थी, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद कहासुनी होने के कारण वादी ने इसी रंजिश के चलते नितांत झूंठी व मनगढ़न्त कहानी गढ़कर आवेदक/अभियुक्त को नामजद करते हुए झूंठा फंसाया है। वह दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वादी को गाड़ी में बंधक बनाकर, चाकू दिखाकर व मारपीट कर उससे जबरदस्ती उसका मोबाइल फोन व स्मार्ट वॉच लूटी गयी व मोबाइल से उसके खाते से एक लाख रूपये सह अभियुक्त के खाते में ट्रांसफर किये गये हैं। अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त गाड़ी, चाकू व लूटा गया मोबाइल फोन व स्मार्ट वॉच बरामद हुई है। आवेदक/अभियुक्त को झूंठा फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है। आवेदक /अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है।

5– केस डायरी में उपलब्ध वादी यश के चिकित्सीय परीक्षण में उसके 10 चोटें साधारण प्रकृति की दर्शायी गयी हैं। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त गाड़ी, चाकू व लूटा गया मोबाइल फोन व स्मार्ट वॉच की बरामदगी बतायी गयी है।

आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–03.06.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०